न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 4/2012

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/2012

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 234/2013

वादी/प्रार्थी :- मदनलाल पुत्र श्री मनसाराम खाद जाति खाद निवासी मेड़तारोड़ तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण :-

1. जेठाराम पुत्र लिखमीदास जाति खाद
2. अनिल कुमार पुत्र जेठाराम जाति खाद
3. गोविन्दराम पुत्र जेठाराम जाति खाद
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता

दावा बाबत इस्तकरार हक रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी.

निर्णय *दिनांक :-* 9.10.2

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बावत इस्तकरार हक रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत पेश करने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने पर तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण शहादत में रखा गया। वकील वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2015 को प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि मुकदमें में वादी मदनलाल की मृत्यु दिनांक 06.04.2015 को हो गई है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने हेतु वादी यह अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है तथा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2015 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम की मृत्यु दिनांक 22.04.2013 को हो गयी। जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जावें। प्रतिवादी 1 के कायम मुकाम की सुचना प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वादी के अधिवक्ता को नही मिली। जिससे प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया गया इसमें वादी की कोई बदयानति नही है। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 07.10.2015 को प्रार्थना पत्र कि दिनांक 22.04.2013 को वादी 1 की मृत्यु हो गयी है। अतः कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया जावें। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में मुख्य तर्क यह दिया कि आर्डर 22 (नियम 3) की जो प्रार्थना पत्र पेश किया वह मृतक के पिता है। प्रार्थना पत्र को 90 दिवस के अन्दर पेश करना था। सूचना वकील साहब को भेजी परन्तु प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावें। वकील वादी ने पुनः बहस में कहा कि विलम्ब के लिये नियम 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया है। जिससे कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। राजस्व वाद संख्या 04/2012 की आदेशिका दिनांक 20.07.2015 में अंकन है कि वकील वादी ने वादी के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु समय चाहा तथा वकील वादी ने वादी एवं प्रतिवादी 1 के कायम मुकाम हेतु दिनांक 27.11.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किये जबकि वकील वादी को

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

मृत्यु के 90 दिन के भीतर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होता है। जो वकील वादी ने पेश नही किया जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उपरोक्त दावा संख्या 04/2012, प्रार्थना पत्र संख्या 03/2012 व प्रार्थना पत्र संख्या 234/2013 खारिज किया जाता है। उक्त तीनों प्रकरणों में इस निर्णय की प्रति लगायी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner